

(कम्प्यूटर शीट को आवश्यक रूप से भरें)

आवेदन फार्म भरते समय हर शब्द के बाद एक खण्ड खाली छोड़ें

अपनी नवीनतम
पासपोर्ट साईज
रंगीन फोटो जिसमें
नीचे नाम प्रिंट हो।
(फोटो साफ सुथरी
चिपकायें हस्ताक्षर एवं
सील न लगायें)

1. NAME SHRI/SMT./KU.
(IN ENGLISH)

[illegible]

आवेदक का नाम एल एल बी की अंक सूची के अनुसार ही भरें - विवाहित महिलाओं को छोड़कर ।

नाम श्री / श्रीमति / कु.
(हिंदी में)

--

आवेदक का नाम एल एल बी की अंक सूची के अनुसार ही भरें - विवाहित महिलाओं को छोड़कर ।

[illegible]

पिता/पति का नाम
(हिंदी में)

--

[illegible]

माता का नाम
(हिंदी में)

--

--	--	--

--	--

--	--

--	--

[illegible]

--	--	--	--

11

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

--

[illegible][illegible]

--

[illegible]

नोट - आवेदक ऊपर अपना रंगीन पासपोर्ट साईज फोटो जिसमें नीचे की तरफ आवेदक का नाम प्रिंट हो चिपकायें।

महत्वपूर्ण :- निम्नांकित क्रमांकों की जानकारी एवं विवरण स्पष्ट रूप से दिया जाये, तथा प्रत्येक क्रमांक पर हस्ताक्षर करें :-

1. एतद् द्वारा यह घोषित किया जाता है, कि मैं कहीं भी पूर्ण अथवा अंशकालिक रूप में किसी अन्य वृत्ति या रोजगार में संलग्न नहीं हूँ।
(यदि आप अंशकालिक रूप में वृत्तिरत हैं व वर्तमान में प्रभावशील नियमों के अधीन नामांकन की पात्रता रखते हैं, तो नियम सहित जानकारी दें)
.....
हस्ताक्षर
2. (केवल उन आवेदकों द्वारा पूर्ति की जाये जो पूर्व में सेवा या वृत्ति कर रहे थे, और सेवा निवृत्त हो चुके हैं) (सप्रमाण जानकारी दें) मैंने अपनी पूर्व सेवा/वृत्ति दिनांक से सेवा समाप्ति/निवृत्ति/त्यागपत्र/बर्खास्तगी/पदच्युत किये जाने के फलस्वरूप या निम्न कारणों से छोड़ दी है
.....
हस्ताक्षर
3. एतद् द्वारा यह घोषित किया जाता है, कि पूर्व में मैं सेवारत नहीं था/थी।
.....
हस्ताक्षर
4. एतद् द्वारा यह घोषित किया जाता है, कि मैं किसी व्यापार/व्यवसाय अथवा वृत्ति में वर्तमान में कार्यरत नहीं हूँ। यदि आप किसी व्यापार/व्यवसाय अथवा वृत्ति में कार्यरत हैं व वर्तमान में प्रभावशील नियमों के अधीन नामांकन की पात्रता रखते हैं तो तत्संबंधी विवरण एवं जानकारी दें
.....
हस्ताक्षर
5. उन आवेदकों द्वारा पूर्ति की जाये, जो किसी व्यापार/व्यवसाय अथवा वृत्ति में पूर्व में कार्यरत थे :-
(प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से संलग्न करें) (आवेदकों से अपेक्षा की जाती है, कि वह अपना उत्तर पूर्ण सत्यता एवं निष्ठा से दें)
मैंने अपना पूर्व व्यवसाय/व्यापार/वृत्ति वर्ष में निम्नांकित कारणों से छोड़ दिया है।
.....
(उक्त छोड़ने का लायसेंस/प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से संलग्न करें।)
.....
हस्ताक्षर
6. ऐसी अन्य परिस्थितियाँ अथवा घटना का यदि, कोई हो, तो उल्लेख करें, जो नामांकन की पात्रता के संदर्भ में आपके चरित्र या योग्यता को प्रभावित करते हों
.....
हस्ताक्षर
7. मेरे द्वारा यह घोषित किया जाता है कि पूर्व में अधिवक्ता के रूप में नामांकित किये जाने हेतु मैंने कहीं भी कोई आवेदन पत्र नहीं दिया है/था।
.....
हस्ताक्षर

अन्यथा

मेरे द्वारा यह घोषित किया जाता है कि मैंने नामांकन हेतु पूर्व में आवेदन पत्र दिया था, जिसका विवरण निम्न प्रकार है :-
.....

8. स्पष्ट हाँ या नहीं लिखकर हस्ताक्षर करें -

- | | | |
|--|---|------------------------|
| अ. क्या पूर्व में आपको भारत अथवा भारत के बाहर किसी न्यायालय द्वारा दंडित किया गया था। | } | हाँ या नहीं लिखे |
| यदि उत्तर हाँ में है तो संबंधित न्यायालय का नाम, प्रकरण क्रमांक, उसके आदेश व निर्णय दिनांक तथा कोई अपील या रिवीजन प्रस्तुत की गई थी / हो या तो निर्णय अंतिम आदेश की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न कर आवश्यक विवरण दें। | | हस्ताक्षर |
| ब. क्या कोई आपराधिक कार्यवाही आपके विरुद्ध लंबित है यदि हाँ तो न्यायालय का नाम, प्रकरण क्रमांक, एवं लंबित कार्यवाही का स्वरूप एवं कानूनी धाराओं का पूर्ण विवरण, चालान तथा अंतिम पेशी दिनांक की आदेशिका की प्रमाणित प्रतिलिपि, संलग्न कर विवरण उल्लेखित करें। | } | हाँ या नहीं लिखे |
| | | हस्ताक्षर |

***समस्त कॉलम (कंडिकाएँ) आवश्यक रूप से भरें जो कॉलम संदर्भ युक्त नहीं है के संबंध में स्पष्ट विवरण सहित जानकारी लिखकर हस्ताक्षर आवश्यक रूप से करें।**

(3)

स. क्या सेवाकाल में आपको बर्खास्त/निलंबित अथवा किसी अन्य प्रकार से दंडित किया गया था, यदि हाँ तो विवरण आवश्यक प्रमाणों सहित प्रस्तुत करें। इसके अलावा इस संदर्भ में आपके द्वारा यदि कोई न्यायिक कार्यवाही

} हाँ या नहीं लिखे
हस्ताक्षर

.....
की गई है तो उक्त संबंधी जानकारी भी दें।

9. क्या किसी न्यायालय द्वारा आपको दिवालिया घोषित किया गया है, यदि हाँ तो आवश्यक विवरण दें।

} हाँ या नहीं लिखे
हस्ताक्षर

10. मैं एडवोकेट एक्ट्स 1961 की धारा 24 (1) (एफ) के अंतर्गत नामांकन शुल्क की राशि का भुगतान एम. पी. आनलाइन के माध्यम से कर रहा/रही हूँ।

(इस संदर्भ में अन्य देय शुल्क/राशियाँ हेतु संलग्न निर्देश का पठन कर तदनुसार आवश्यक भुगतान करें।)

11. अनुसूचित जाति / जनजाति के आवेदकों को जाति प्रमाण पत्र लगाना अनिवार्य है।
जाति प्रमाण पत्र मध्यप्रदेश का होना अनिवार्य है।

12. एतद् द्वारा यह घोषित किया जाता है, कि यदि मुझे अधिवक्ता के रूप में स्वीकार किया जाता है, तो मेरे द्वारा मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद तथा बार कौंसिल ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित सभी नियमों व समय-समय पर होने वाले संशोधनों का जिसके अंतर्गत अधिवक्ताओं की राज्य नामावली व भारत की सामान्य नामावली पर नामांकित अधिवक्ताओं के आचरण पर नियंत्रण रखा जाता है, का निष्ठापूर्वक पालन किया जायेगा।

मेरे द्वारा अधिवक्ताओं के व्यावसायिक सदाचार एवं आचरण से संबंधित प्रभावशील नियमों का अध्ययन कर लिया गया है।

13. मेरे द्वारा, इस संदर्भ में की गई अपेक्षाओं के अनुरूप आचरण किये जाने की वचन बद्धता दी जाती है।

14. एतद् द्वारा यह घोषित किया जाता है, कि इस आवेदन पत्र में उल्लेखित किये गये कथन व तथ्य मेरी जानकारी के अनुसार पूर्णतः सत्य हैं एवं यदि उक्त असत्य निकले तो परिषद को मेरे विरुद्ध सनद निलंबित कर वैधानिक जांच की कार्यवाही करने/कराने का अधिकार होगा।

15. मेरे द्वारा यह वचन दिया जाता है, कि इस आवेदन पत्र के संबंध में कोई अन्य जानकारी, यदि मुझसे प्राप्त होनी है, तो उसे निर्देशानुसार मेरे द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा।

16. मेरे द्वारा इस आवेदन पत्र के साथ अपने तीन नवीनतम छायाचित्र प्रेषित किये जा रहे हैं, जिनमें एक छायाचित्र निर्दिष्ट स्थान पर चिपका दिया गया है, जिसको कि राज्य अधिवक्ता परिषद के सदस्य/सचिव अथवा मान्यता प्राप्त अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष/सचिव अथवा दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी द्वारा सत्यापित कर सील लगाई है, तथा शेष दो अन्य छायाचित्र जो कि असत्यापित हैं, पिन से संलग्न किये जा रहे हैं।

***समस्त कॉलम (कंडिकाएँ) आवश्यक रूप से भरें जो कॉलम संदर्भ युक्त नहीं है के संबंध में स्पष्ट विवरण सहित जानकारी लिखकर हस्ताक्षर आवश्यक रूप से करें।**

दो छायाचित्रों के लिये स्थान

(छायाचित्रों, पासपोर्ट साईज में हो, एक चिपकाकर सत्यापित करायें एवं दो छायाचित्र एक छोटे लिफाफे में रखकर लिफाफा यहां पेज नं 6 पर संलग्न करें। कंडिका 29 का अवलोकन करें) अधिवक्ता गणवेश बैण्ड वाली फोटो नहीं लगायें।

आवेदक के हस्ताक्षर

**सत्यापित
छायाचित्र**

महत्वपूर्ण टीप :-

यदि इस आवेदन पत्र में उल्लेखित किया कोई कथन अथवा तथ्य अथवा दिया गया विवरण किसी भी समय असत्य पाया गया, तो आपका नाम एडवोकेट एक्ट 1961 की धारा 26 की उपधारा 1 के अंतर्गत अधिवक्ता नामावली से काट दिया जायेगा।

● अच्छे नैतिक चरित्र का प्रमाण पत्र ●

(मात्र उन्हीं अधिवक्ताओं द्वारा दिया जाये जो पाँच वर्ष से अधिक समय से अधिवक्ता के रूप में व्यवसायरत हैं)

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि, इस नामांकन आवेदन पत्र के माध्यम से अधिवक्ता के रूप में नामांकित किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत कर रहे आवेदक श्री/श्रीमती/कुमारी
.....निवासीसे मैं लगभग पिछलेवर्षों से
व्यक्तिगत रूप से भली-भांति परिचित हूँ। मेरे द्वारा राज्य अधिवक्ता परिषद् को आश्वस्त कराया जाता है, कि ये सम्मानीय व्यक्ति के हैं, एवं मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद् की अधिवक्ता नामावली में नामांकित किये जाने हेतु योग्य एवं उचित व्यक्ति हैं।

प्रमाण पत्र देने वाले अधिवक्ता का नाम

व्यवसाय स्थल

नामांकन क्रमांक एवं वर्ष

दिनांक

स्थान

**अधिवक्ता के हस्ताक्षर एवं सील
(सील आवश्यक है)**

● अच्छे नैतिक चरित्र का प्रमाण पत्र ●

(मात्र उन्हीं अधिवक्ताओं द्वारा दिया जाये जो पाँच वर्ष से अधिक समय से अधिवक्ता के रूप में व्यवसायरत हैं)

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि, इस नामांकन आवेदन पत्र के माध्यम से अधिवक्ता के रूप में नामांकित किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत कर रहे आवेदक श्री/श्रीमती/कुमारी
.....निवासीसे मैं लगभग पिछलेवर्षों से
व्यक्तिगत रूप से भली-भांति परिचित हूँ। मेरे द्वारा राज्य अधिवक्ता परिषद् को आश्वस्त कराया जाता है, कि ये सम्मानीय व्यक्ति के हैं, एवं मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद् की अधिवक्ता नामावली में नामांकित किये जाने हेतु योग्य एवं उचित व्यक्ति हैं।

प्रमाण पत्र देने वाले अधिवक्ता का नाम

व्यवसाय स्थल

नामांकन क्रमांक एवं वर्ष

दिनांक

स्थान

**अधिवक्ता के हस्ताक्षर एवं सील
(सील आवश्यक है)**

*समस्त कॉलम (कंडिकाएँ) आवश्यक रूप से भरें जो कॉलम संदर्भ युक्त नहीं है के संबंध में स्पष्ट विवरण सहित जानकारी लिखकर हस्ताक्षर आवश्यक रूप से करें।

इस प्रोफार्मा को 200/- रुपये के स्टाम्प पेपर में
नोटराइज करा कर भेजना अनिवार्य है ।

UNDERTAKING

I,S/o / D/o

..... R/o

I have to apply for the registration as an Advocate with State Bar Council of Madhya Pradesh. I have to apply for the next All India Bar Examination (AIBE). I undertake that I will practice as an advocate provisionally till, I qualify the All India Bar Examination and I shall pass the examination within two year from the date of enrolment whichever is earlier. I further undertake that in case, I do not qualify the All India Bar Examination within two years from the date of enrolment, I will not practice as an Advocate before any Court in India and I shall abide by the decisions of Bar Council of India and State Bar Council of Madhya Pradesh.

Date :

Signatures

Place :

Name

Address

.....

.....

Mob.No.

नोट :-

जिन आवेदकों ने सत्र 2009-10 अथवा उसके बाद में विधि स्थानतक की उपाधी प्राप्त की है उन्हें बार कौंसिल ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित अखिल भारतीय बार परीक्षा (AIBE) उत्तीर्ण करने के पश्चात ही विधि व्यवसाय करने की पात्रता होगी। ऐसे आवेदकों को आवेदन-पत्र के साथ संलग्न Undertaking प्रोफार्मा को 200/- अंकन दो सौ रुपये के नान-ज्युडिशियल स्टॉम्प पर नोटराइज कर नामांकन आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। आवेदन पत्र के साथ शपथपत्र न पाये जाने पर आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा। वर्ष 2010 के पहले विधि स्नातक आवेदकों के लिये अंडर टेकिंग अनिवार्य नहीं है।

प्रारूप शपथ-पत्र

आवेदक द्वारा शपथ-पत्र 200/- के नान ज्यूडिशियल
स्टाम्प/ई-स्टाम्प पर नोटराइज करवाकर संलग्न करना

मैं पुत्र/पुत्री पत्नी श्री उम्र
निवासी (म.प्र.) मो.
शपथ पूर्वक ब्यान करता हूँ कि:-

1. यह कि मैं जन्म से भारतीय हूँ।
2. यह कि मेरी जन्म तिथि है और मेरी उम्र 21 वर्ष से अधिक है।
3. यह कि मैं कभी अपराध में दण्डित नहीं हुआ हूँ।
4. यह कि मेरे विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता अथवा अन्य किसी एक्ट में कोई मुकदमा किसी फौजदारी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है और न ही मुझे किसी सेवा से बर्खास्त/निलंबित किया गया है और न ही सजा हुई है (यदि हाँ है तो पृथक से शपथ-पत्र के साथ प्रमाणित दस्तावेज प्रस्तुत करें) और न ही किसी अपराधिक केस में मेरी गिरफ्तारी हुई है और न ही मेरे विरुद्ध पुलिस द्वारा कोई विवेचना चल रही है।
5. यह कि मैं कभी किसी शासकीय/अशासकीय नौकरी, व्यापार में कार्यरत नहीं था और न इस समय हूँ। एवं एल.एल.बी. वर्ष में उत्तीर्ण करने के उपरांत आज तक मैं कर रहा था। (यदि किसी नौकरी या व्यापार में संलग्न थे तो नौकरी छोड़ने का त्याग-पत्र/व्यापार बंद करने का प्रमाण सहित पृथक से शपथ-पत्र देवे तथा खेती में संलग्न थे तो खसरा की प्रमाणित प्रति सहित प्रस्तुत करें)
6. यह कि मैं वर्तमान में विधि के अतिरिक्त अन्य अध्ययन कर रहा हूँ।
7. यह कि मेरा वर्तमान में आय-व्यय का साधन हैं। किस पर निर्भर है। विवरण दे।
8. यह कि मैंने इसके पूर्व किसी बार कौंसिल अथवा उच्च न्यायालय में अधिवक्ता पंजीकरण हेतु प्रार्थना-पत्र नहीं दिया है और न ऐसा कोई प्रार्थना-पत्र अस्वीकृत हुआ।
9. यह कि मैंने हाईस्कूल की परीक्षा सन् में उत्तीर्ण की है। रोल नंबर शाला है। (सत्यप्रतिलिपि/प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न है।)
10. यह कि मैंने हायर सेकेंडरी की परीक्षा सन् में उत्तीर्ण की है। रोल नंबर शाला (सत्यप्रतिलिपि/प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न है।)
11. यह कि मैंने स्नातक की परीक्षा सन् में उत्तीर्ण की है। रोल नंबर शाला (सत्यप्रतिलिपि/प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न है।)
12. यह कि मैंने विधि स्नातक की परीक्षा सन् में उत्तीर्ण की है। रोल नंबर शाला (सत्यप्रतिलिपि/प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न है।)
13. यह कि मेरा हाईस्कूल से लेकर विधि अंतिम वर्ष अध्ययन के दौरान अथवा उसके उपरांत वर्ष से वर्ष तक गैफ (अंतराल) हो गया था, जिसका कारण था कि।
14. यह कि अधिवक्ता के रूप में बार कौंसिल द्वारा पंजीकृत किये जाने के बाद मेरे विरुद्ध Moral Turpitude के अन्दर आने वाला कोई भी अपराधिक वाद या एफ0आई0आर0 कायम होता है तो मैं उपरोक्त अपराधिक वाद से सम्बन्धित प्रथम सूचना रिपोर्ट या यदि परिवाद कायम होता है तो परिवाद की प्रतिलिपि मध्य प्रदेश बार कौंसिल को उक्त तथ्य की जानकारी होने की तिथि से तीन माह के अन्दर रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित कर दूंगा। इस बात को सुनिश्चित करूंगा कि परिवाद या एफ0आई0आर0 की प्रति बार कौंसिल को मिल गई है।
- (ब) यह कि अधिवक्ता के रूप में पंजीकृत होने के पश्चात् यदि मैं अपने जीवन यापन हेतु किसी अन्य व्यापार, व्यवसाय या नौकरी या अन्य व्यवसाय को जीविकोपार्जन के साधन के रूप में अपनाता हूँ तो मेरे द्वारा पंजीकरण प्रमाण पत्र तत्काल बार कौंसिल मध्य प्रदेश के कार्यालय में समर्पित कर दिया जायेगा और ऐसा न करने पर मैं मा0द0वि0 के अन्तर्गत दोषी माना जाऊंगा।
- (स) यह कि आवेदन पत्र में मेरे द्वारा की गई घोषणा मेरे व्यक्तिगत ज्ञान में सत्य है तथा कोई भी तथ्य मेरे द्वारा छिपाया नहीं गया है।
15. कोई विशेष उल्लेख।
यह कि शपथ-पत्र के उपर्युक्त पैराग्राफ 1 से तक मेरे व्यक्तिगत ज्ञान एवं विश्वास में सत्य है, इसमें कोई भी बात असत्य नहीं है।
आज दिनांक स्थान पर सत्यापित किया।

शपथकर्ता/शपथकर्त्री

चेकलिस्ट

संलग्न प्रमाणित दस्तावेज निम्नानुसार है

1. हाईस्कूल मार्कशीट/प्रमाण पत्र सत्यप्रति ।
2. हायर सेकेंडरी मार्कशीट/प्रमाण पत्र सत्यप्रति ।
3. बी.ए./बी.काम./बी.एस.सी./मार्कशीट भाग 1,2,3 एवं डिग्री की सत्यप्रति ।
4. एम.ए./एम.काम./एम.एस.सी. मार्कशीट भाग 1, 2 एवं डिग्री की सत्यप्रति ।
5. एल.एल.बी. भाग 1,2,3 की मार्कशीट की सत्यप्रति ।
6. विधि महाविद्यालय का नियमित प्रमाण पत्र
7. विनियमित छात्र प्रमाण-पत्र/सेवा निवृत्ति प्रमाण पत्र/जाति प्रमाण पत्र (अनु. जाति, जनजाति के लिए)
8. चालान की प्रतिलिपि/शपथ पत्र एवं खसरे की प्रतिलिपि ।
9. अण्डर टेकिंग (200/- के स्टाम्प पर)
10. शपथ पत्र (200/- के स्टाम्प पर)
11. दो फोटो
12. पुलिस वेरीफिकेशन सर्टिफिकेट ।
13. समस्त अंकसूचियों को म.प्र.राज्य अधिवक्ता परिषद के सदस्य/सचिव अथवा अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष/सचिव या प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी अथवा नोटरी से सत्यापित कराये ।
14. निवास प्रमाण हेतु आवेदक आधार कार्ड /स्थानीय निवास-पत्र/झायविंग लायसंस / वोटर आई डी की प्रति आवश्यक रूप से संलग्न करें।
15. अन्य

.....

- नोट :-
1. स्नातक की समस्त वर्षों/सेमेस्टर की प्रमाणित अंक सूची लगाना अनिवार्य है ।
 2. पासपोर्ट फोटो साधारण लगाये अधिवक्ता गणवेश (बैण्ड) हार्निज न लगावे ।
 3. नामांकन हेतु देय अनिवार्य शुल्क सामान्य वर्ग हेतु-750/- एवं अनु.जा./जन.जाति हेतु 125/- एम.पी.ऑनलाईन के माध्यम से ही जमा करें ।
 4. आवेदक एम.पी.ऑनलाईन में अपलोड किये गये समस्त वांछित दस्तावेजों की एक प्रति मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद जबलपुर में 15 दिवस के अंदर आवश्यक रूप से प्रेषित करें एवं उसके पश्चात ही नामांकन संबंधी कार्यवाही की जावेगी ।

हस्ताक्षर आवेदक